"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2016 — फाल्गुन 20, शक 1937

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2016

आदेश

क्रमांक एफ 21-1/2016/9/55-4. — छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 1944/1993 के आई. ए. क्रमांक 16/2012 में पारित आदेश दिनांक 23-3-2012 के अनुक्रम में समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 21-1/2016/9/55-4 दिनांक 11-2-2016 द्वारा अधिसूचित छ. ग. स्नातकोत्तर प्रवेश नियम-2016 की नियम-13 को तत्काल प्रभाव से विलोपित करता है, अर्थात् -

(1) नियम कंडिका "13" - वर्तमान कंडिका-13 "प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त रिक्त रह गई डिग्री सीटों में प्रवेशित अभ्यर्थियों का अंतरण" को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आई. ए. क्रमांक 16/2012 के सिविल अपील क्रमांक 1944/1993 के परिपालन में पूर्णत: विलोपित किया जाता है.

No. F 21-1/2016/9/55-4. — In exercise of the powers conferred by Section 3 read along with Section 4 of the Chhattisgarh Chikitsha Mahavidyalayon Ke Snatkottar Pathyakrmon Main Pravesh Adhiniyam, 2002 (No. 28 of 2002), State Government in accordance with the Order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in I. A. No.16 of 2012 in Civil Appeal No. 1944 of 1993, hereby, deletes Rule-13 of Chhattisgarh Chikitsa Snatkottar Pravesh Niyam, 2016 notified vide even number notification No. F 21-1/2016/IX/55-4 dated the 11th of February 2016 with immediate effect-

(1) Amendment in Rule "13" - The existing Rule-13 "Conversion of vacant diploma seats into degree seats after the last date of admission." stands deleted in accordance with the Order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in I. A. No. 16 of 2012 in Civil Appeal No. 1944 of 1993.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकाश शील, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.